Composite Loan Scheme

Under this scheme, the DSFDC is providing need based loan to the prospective beneficiaries for pursuing various income generating activities as follows:-

1. Vegetable/Fruit/Flowers' shop.
2. Bakery items/confectionery items.
3. Kiryana/General Store.
4. Dairy Products.
5. Stationery/Books/Gifts/Book Binding.
6. Photostat/Fax/STD/PCO.
7. Cyber Café/Cell Phone Booths.
8. LPG Booking Office/Showroom without LPG Cylinders.
9. Atta Chakki.
10. Meat/Poultry and Fish Shop.
11. Pan Shop.
12. Barber Shop/Hair Dressing Saloon/Beauty Parlour.
13. Laundary/Dry Cleaner/Ironing.
14. Sweet Shop/Tea Stall without sitting arrangements.
15. Chemist Shop.
16. Tailoring Shop.
17. Optical Shop.
18. Electrical/Electronic Repair Shop.
19. Photo Studio.
20. Cable TV/DTH Operations.
21. Hosiery/Readymade Garments/Cloth Shop.
22. ATM.
23. Ration Shop under Public Distribution System of NCT of Delhi/Cycle Repair Shop.
24. Any non- polluting permissible manufacturing activity in Industrial/Commercial/mixed land use residential are defined under Master Plan.
25. Purchase of Three Wheeler/Taxis.
26. Any other activity found suitable and approved by the Principal Secretary (SC/ST/OBC/Minority).

Target Groups:

1. Scheduled Caste
2. Scheduled Tribe
3. Other Backward classes
4. Minorities
5. Persons with Disabilities.

Eligibility Criteria:

i) The applicant should be a resident of Delhi.
ii) The applicant age should be between 18 to 50 years.

iii) The annual family income of the applicant from all sources should not exceed Rs.1.20 lakhs.
iv) The applicant must have proper work place, for starting the proposed activity, either owned or rented.
v) The applicant should not have been declared defaulter under any of the schemes being implemented by DSFDC.

Maximum permissible loan amount:

i) For SC category, the need based loan up to Rs. 3.00 lakhs.
ii) For OBC, Minority and PWD categories, the need based loan amount up to Rs.1.00 Lakh.

Documents Required:

i) Duly filled Loan application Form, available in the three Branch Offices (Rajpur Road, Mangolpuri, Nand Nagri) and HQ at Rohini. It can also be downloaded from the official Website (http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_dsfdc/DSFDC/Home/) of the Corporation. The form is available free of cost.
ii) Aadhar card as proof of identity and residence.
iii) Caste Certificate issued by Govt. of Delhi or affidavit, in case of applicant belong to any of the minority community. PWD Certificate issued by Govt. Hospital showing minimum 40% disability, is required, if person belongs to PWD category.
iv) Age proof in the form of Birth Certificate/School leaving certificate/Affidavit.
v) Income Certificate in the form of Affidavit.
vi) Affidavit about non availing of loan from any financial institution/Govt. Organization.
vii) Estimate of the items/machines to be procured for proposed activity.
viii) Ownership proof of work place i.e Electricity Bill/Water Bill/Telephone Bill (MTNL) or any other document of property.
ix) Rent agreement and ID proof of owner of the work place in case of work place is on rent.
x) Affidavit of No Objection Certificate for work place, the work place is owned by any of the relatives (blood relation).
xi) Affidavit of personal guarantee
xii) ECS mandate in the prescribed format, towards repayment of loan, along with 05 blank CTS post dated cheques in favour of DSFDC and one blank cancelled cheque for making payment through RTGS.
xiii) Five blank post dated cheques of guarantor are also required, if loan amount is above Rs.2.00 lakh.
xiv) Affidavit of Legal heir of applicant
xv) ID proof of legal heir with passport size photo.
xvi) Copy of insurance receipt under Prime Minister Suraksha Bima Yojna and Prime Minister Jiwan Jyoti Bima Yojna.
xvii) The applicant is required to bring two witnesses alongwith their ID proof.

xviii) Group Photograph showing applicant, guarantor, two witnesses, Branch Incharge & Dealing Asstt.

xix) Demand draft of Rs.350/- in favour of DSFDC towards processing fee.

(xx) <u>Guarantor's Documents:</u>

a) Original pay slip of guarantor.

b) Copy of office Identity Card of guarantor

c) Aadhar Card of guarantor as proof of residence

d) Affidavit of guarantor & undertaking in prescribed format.

e) Date of birth proof of guarantor.

f) 05 passport size photographs of guarantor.

g) In case of loan above Rs.2.00 lakh, 5 blank cheques from guarantors(s)

OR (in case of collateral security)

Original property document, in case of immovable property and NOC from the owner of the property with complete chain documents.

OR

Original collateral security in the shape of NSC/KVP/FDR and letter of lien in favour of DSFDC.

(xxi) In case of loan up to Rs.50000/-, no guarantor or Collateral Security is required. However, the same shall be discretionary. But the applicant shall have to produce two reference/names of prominent persons, who are permanent resident of Delhi and reside in the area, where applicant resides.

कम्पोजिट ऋण योजना

इस योजना के अन्तर्गत डीएसएफडीसी द्वारा इच्छुक लाभार्थियों आवश्यकतानुसार निम्न आय जन्य गतिविधियों में कार्य करने हेतु ऋण उपलब्ध कराता है ।

1. सब्जी/फल/फूल की दुकान ।
2. बेकरी वस्तुएं / कनफेक्शनरी वस्तुएं ।
3. किरयाना स्टोर / जनरल स्टोर ।
4. दुग्ध उत्पादन ।
5. स्टेशनरी / किताबें / गिफ्ट / बुक बाईडिंग ।
6. फोटोस्टेट/ फैक्स/ एसटीडी/ पीसीओ ।
7. साईबर कैफे / सैल फोन बूथ ।
8. एलपीजी बुकिंग ऑफिस/ बिना एलपीजी सिलेण्डर के शोरूम ।
9. आटा चक्की ।
10. मीट/पाल्ट्री तथा फिश शॉप ।
11. पान की दुकान ।
12. नाई की दुकान / ब्यूटी पार्लर ।
13. लॉन्ड्री / ड्राईक्लीन / इस्त्री ।
14. मिठाई दुकान / चाय दुकाना बिना बैठक व्यवस्था के ।
15. दवाई की दुकान ।
16. दर्जी की दुकान ।
17. चश्में की दुकान ।
18. इलैक्ट्रिकल / इलैक्ट्रॉनिक्स रिपेयर शॉप
19. फोटो स्टूडियों ।
20. केबल टीवी / डीटीएच ऑपरेशन्स
21. हौजरी / रेडीमेड गारमेन्ट / कपडें की दुकान
22. एटीएम
23. दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृत राशन की दुकान /साईकिल रिपेयर की दुकान ।
24. मास्टर प्लान में अनुमोदिन रिहायशी एवं व्यवसायिक मिश्रित उपयोग की भूमि में कोई भी प्रदू-ाण मुक्त आधोगिक निर्माण गतिविधियाँ ।
25. तिपहिया वाहन एवं टैक्सी खरीदने के लिए ।
26. ऐसी कोई भी उपयुक्त अन्य गतिविधि जो प्रधान सचवि (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्प) , दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित ।

लक्षित समूह

1. अनुसूचित जाति
2. अनुसूचित जनजाति
3. अन्य पिछड़ा वर्ग
4. अल्पसंख्यक समुदाय
5. नि;शक्त जन समुदाय

पात्रताएं

i) आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए ।
ii) आवेदक की आयु 18 से 50 वर्न के बीच होनी चाहिए ।
iii) आवेदक की सभी स्रोत्रो से वार्निक पारिवारिक आय 1.20 लाख से अधिक ना हो ।
iv) आवेदक के पास प्रस्तावित कार्य हेतु अपना अथवा किराये का उपयुक्त कार्यस्थल होना चाहिए ।
v) आवेदक डीएसएफडीसी द्वारा कार्यान्वित किसी भी योजना में डिफाल्टर घोनित ना हो ।

अधिकतम निर्धारित ऋण सीमा

i) अनुसूचित जाति वर्ग में आवश्यकतानुसार अधिकतम 3.00 लाख रूपये तक का ऋण ।
ii) अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक एवं नि;शक्त जन वर्ग में आवश्यकतानुसार 1.00 लाख रूपये तक का ऋण ।

आवश्यक दस्तावेज

i) आवेदन पत्र इस निगम कार्यालय की तीनों शाखा कार्यालय (राजपुर रोड़, मंगोल पुरी, नन्द नगरी) तथा मुख्य कार्यालय (रोहिणी) में उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त निगम कार्यालय की वेबसाईट (http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_dsfdc/DSFDC/Home/) से डाउनलोड किया जा सकता है । आवेदन पत्र नि;शुल्क है ।

ii) निवास प्रमाण पत्र हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है ।
iii) दिल्ली सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण अथवा यदि आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय से है तो शपथ पत्र । नि;शक्त जन वर्ग हेतु सरकारी अस्पताल द्वारा जारी 40% या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र ।
iv) आयु प्रमाण पत्र हेतु आवेदक को जन्म प्रमाण पत्र/ स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
v) आय प्रमाण हेतु शपथ पत्र ।
vi) इस आश्य का शपथ पत्र की किसी वित्तीय संस्थान एवं सरकारी सगंठन से ऋण ना लिया हो ।

vii) प्रस्तावित कार्य हेतु समान/मशीन की लागत का विवरण ।

viii) कार्यस्थल के मालिकाना प्रमाण सबूत हेतु भुगतान किया हुआ बिजली बिल/पानी बिल/दूरभा-ा बिल (एमटीएनएल) या सम्पति के अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा ।

ix) यदि प्रस्तावित कार्यस्थल किराये का है तो किराया अनुबन्ध और मालिक के पहचान का सबूत (आईडी) ।

x) यदि प्रस्तावित कार्यस्थल आवेदक के रिश्तेदार का है तो मालिक का 10/- रूपये के स्टेम्प पेपर पर नौटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)। (पारिवारिक)

xi) व्यक्तिगत गारण्टी का शपथ पत्र ।

xii) ऋण भुगतान हेतु निर्धारित प्रपत्र में इसीएस पत्र, 05 सीटीएस पोस्टडेटिड चैक डीएसएफडीसी के पक्ष में प्रस्तुत करने होगें तथा एक रद्द अंकित चैक ऋण भुगतान हेतु आरटीजीएस हेतु देना होगा ।

xiii) यदि स्वीकृत ऋण राशि 2.00 लाख रूपये से अधिक है तो गारन्टर के 05 रिक्त चैक जमा कराने होगें ।

xiv) आवेदक के वारिस का शपथ पत्र ।

xv) वारिस का पहचान पत्र फोटो सहित ।

xvi) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) की बीमा प्रति ।

xvii) आवेदक को दो गवाह के पहचान पत्र (सबूत) के साथ उपलब्ध कराने होगें ।

xviii) आवेदक, जमानती, दो गवाहों, शाखा प्रभारी तथा संबंधित लिपिक सहित सामूहिक फोटोग्राफ ।

xix) डीएसएफडीसी के पक्ष में 350/- रूपये की प्रक्रिया शुल्क हेतु डिमान्ड ड्राफ्ट ।

xx) गारन्टर के दस्तावेज

(1) गारन्टर की मूल वेतनपर्ची ।
(2) गारन्टर का कार्यालय पहचान पत्र प्रति ।
(3) गारन्टर का निवास प्रमाण पत्र हेतु आधार कार्ड ।
(4) गारन्टर का शपथ पत्र एवं अंडरटेकिंग (निर्धारित प्रपत्र में) ।
(5) गारन्टर का आयु प्रमाण पत्र ।
(6) गारन्टर की 05 पासपोर्ट साईज फोटो ।
(7) यदि स्वीकृति ऋण 2.00 लाख रूपये से अधिक है तो गारन्टर के 05 रिक्त चैक।

अथवा (यदि कॉलेट्रल सिक्योरिटी है)

यदि अचल सम्पति की गारण्टी है तो प्रापर्टी के मूल दस्तावेज पूरी चेन के साथ और सम्पति के मालिक की एनओसी ।

अथवा

कॉलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में एनएससी/केवीपी/एफडीआर की मूल प्रति और

डीएसएफडीसी के पक्ष में लियन पत्र ।

xxi) यदि स्वीकृत ऋण राशि 50,000/- रूपये तक है या कैलोट्रल सिक्योरिटी उपलब्ध करा रहें हैं तो गारण्टी नहीं देनी होगी । इसके अतिरिक्त इसमें निगम का निर्णय अन्तिम होगा परन्तु लाभार्थी को दो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करने होगें जो दिल्ली के स्थायी निवासी हो और लाभार्थी के क्षेत्र में ही निवास करते हों ।